राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कमांक प.7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 जयपुर, दिनांक : 14-03-2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार ।

विषय :— राजकीय धन/सम्पत्ति के दुर्विनियोजन, गबन, चोरी एवं हानि के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों में चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरण काफी समय से लम्बित है जिनके त्वरित निस्तारण हेतु इन प्रकरणों में उल्लेखित गबन/हानि की राशि की वसूली एवं अन्य कार्यवाही यथा विभागीय जांच, पुलिस कार्यवाही आदि नहीं हो पा रही है। भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक द्वारा भी अपने प्रतिवेदन (राज्य वित्त) में प्रतिवर्ष आक्षेप गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मामला शासन के ध्यान में लाया जाता है।

चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा निम्नाकिंत पत्र/परिपत्र जारी किए गए है:—

1. परिपत्र कमांक प.6(4)वित्त/अंकेक्षण/92 दिनांक 16.03.1998
2. अ.शा.टीप कमांक प.7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक 19.01.2005
3. पत्र कमांक प.12(11)वित्त/अंकेक्षण/06 दिनांक 11.05.2006
4. पत्र कमांक प.7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक 28.06.2016

वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के उपरान्त भी कतिपय विभागों द्वारा चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों में निस्तारण की कार्यवाही नहीं करना अत्यन्त गंभीर विषय है। अतः इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाकर पूर्व में प्रसारित आदेशों के कम में पुनः निवेदन है कि कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावे :—

1. चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों की रोकथाम हेतु विभागीय स्तर पर एक समुचित कार्य प्रणाली विकसित की जावे तथा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में विभागीय आंतरिक जांच दलों से नियमित आंतरिक जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि आंतरिक जांच का कोई बैकलॉग चल रहा हो तो उसे अविलम्ब पूर्ण कराया जावे तांकि दुर्विनियोजन, हानि, गबन एवं चोरी के मामलों का प्रारम्भिक स्तर पर ही पता लगाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
2. विभागों द्वारा समय पर बैंक से अंक मिलान, कोषागार से मिलान, रोकड़ बही का वाउचरों से सत्यापन, स्टोर का भौतिक सत्यापन एवं सामग्री की सुरक्षा के संबंध में उचित कार्यवाही की जावे।

3. जैसे ही चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि आदि की जानकारी प्राप्त हो तो महालेखाकार कार्यालय, प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग एवं निदेशक, निरीक्षण विभाग को अविलम्ब सूचित किया जावे तथा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। प्रकरण की प्रारम्भिक जांच करायी जावे, प्रारम्भिक जांच में गबन आदि की पुष्टि होने पर आवश्यक हो तो विस्तृत जांच कराई जावे तथा गबनकर्ता के विरूद्ध तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे एवं गबन राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावे।

4. न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर विभाग की ओर से समय–समय पर समुचित पैरवी की जावे तथा न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण करवाया जावे।

5. कई बार यह भी देखने में आया है कि दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत हो जाते है परन्तु सेवानिवृति तक न तो उनके विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है तथा न ही विभागीय जांच आरम्भ हो पाती है। यह विदित ही है कि सेवानिवृति के उपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से ऐसे मामलों में वसूली किया जाना अत्यन्त ही कठिन होता है तथा अन्त में राज्य सरकार को ही हानि वहन करनी पड़ती है। अतः चोरी, गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं धोखाधडी के मामलों में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के सेवा में रहते हुए ही नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

6. गबनकर्ता कार्मिक को रोकड शाखा, स्टोर शाखा, राजस्व संग्रहण एवं लेखा संधारण आदि के कार्यो से तुरन्त हटाया जावे तथा भविष्य में भी उन्हे ऐसे कार्य आवंटित नहीं किए जावे। गबन, चोरी, एवं दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों से संबंधित अभिलेख को भी सुरक्षित कर लिया जावे ताकि उसमें किसी तरह की हेरा–फेरी किये जाने की सम्भावना न रहे तथा भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि आदि के प्रकरणों में उक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र दिनकर)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/लेखा व हक/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मंजुला वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव